न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी– श्री पुनीत कुमार गेलड़ा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
71/2012/वाद पत्र	28.07.2023	03.10.2023

उनवान

मंगलेश कुमार पुत्र निर्भयदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2. मु. विमला देवी पत्नी निर्भयदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा
3. मु. कान्ता पत्नी नारायणदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा
4. हेमन्तदत्त पुत्र नारायणदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषित कराये जाने खातेदार काश्तकार

उपस्थितः– श्री दिनेश चन्द्र व्यास :– अभिभाषक – वादी

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषित कराये जाने खातेदार काश्तकार का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है –वादी के पुश्तैनी हक अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात आरजी नम्बर 168 रकबा 0.11 है0, 169 रकबा 1.92 है0, 169/1 0.07 है0, 170 रकबा 0.13 है0, 171 रकबा 0.28 है0, 172 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.10 है0, 183 रकबा 0.31 है0, 186 रकबा 0.02 है0, 695/182 रकबा 0.80 है0 कुल किता 10 रकबा 3.76 है0 ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा की सरहद में स्थित है। निर्भयदत्त के देवहसान के बाद विरासत से खुले नामान्तरकरण में सहवन से वादी का नाम मंगलेश कुमार पुण्डरिक के स्थान पर ग्राम ढाणी भवसागर के राजस्व अभिलेख में मंगलदत्त पिता निर्भयदत्त अंकित हो गया। जबकि वादी के अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड आदि में वादी का नाम मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त अंकित है। दिनांक 02.09.2021 के बाद वादी ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम सही अंकित कराने हेतु कई बार पटवारी हल्का व तहसीलदार शाहपुरा से मौखिक, व लिखित में निवेदन किया। किन्तु किसी ने वादी की सुनवाई नहीं की। जिससे वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर ग्राम ढाणी भवसागर में स्थित वाद पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात का वादी को मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त निवासी शाहपुरा को खातेदार घोषित कर तदनुसार ग्राम ढाणी भवसागर के राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दुरूस्ती कर मंगलदत्त पुत्र निर्भयदत्त के स्थान पर मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त निवासी शाहपुरा का नाम अंकित कराये जाने की डिक्री प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.10.2022 को प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 स्वयं उपस्थित हुए एवं प्रतिवादीगण सं0 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण में दिनांक 06.12.2022 को प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण का निस्तारण किये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है व प्रतिवादीगणों को मध्य विवाद शेष नहीं रहा है। अतः प्रकरण बाद राजीनामा तस्दीक किया जाकर प्रकरण निस्तारण के आदेश करावें। जिसके पश्चात प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 22.08.2023 को प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा राज्यहित प्रभावित नहीं होने से जवाब नहीं दिये

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

जाने से पेरोकार सरकार का जवाब बंद किया गया। दिनांक 06.09.2023 को अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते एवं निवेदन किया कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 03.10.2023 को प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के पुश्तैनी हक अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा में स्थित है। श्री निर्भयदत्त के देहावसान के बाद विरासत से खुले नामान्तकरण में सहवन से वादी का नाम मंलेश कुमार पुण्डरिक के स्थान पर मंगलदत्त पिता निर्भयदत्त अंकित हो गया। जबकि वादी के अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड आदि में वादी का नाम मंगलेश कुमार अंकित है। सभी दस्तेवजात संलग्न है। श्रीमान के निवेदन है कि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए ग्राम ढाणी भवसागर में स्थित वाद पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात का वादी मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त निवासी शाहपुरा को खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार ढाणी भवसागर के राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दुरस्ती कर मंगलदत्त पुत्र निर्भयदत्त के स्थान पर मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त निवासी शाहपुरा का नाम अंकित कराये जाने की कृपा करावें।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। राजस्व रेकार्ड ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 खाता सं0 60 में विरास्त के नामान्तरकरण में मंगलदत्त पिता निर्भयदत्त अंकित है। एवं जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 94 में वादी का नाम मंगलदत्त पुत्र निर्भयदत्त दर्ज रेकार्ड है। संलग्न आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक पास बुक में वादी का नाम मंगलेश कुमार पुण्डरिक अंकित है। वादी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 1993 की अंक तालिका प्रस्तुत की गयी है। जिसमें वादी का नाम मंगलेश कुमार पुण्डरिक अंकित है। अवलोकन से अंक तालिका वर्ष 1993 में जारी है एवं विरासत का नामान्तरकरण 27.06.2000 को खोला गया है। अतः विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय वादी का नाम मंगलदत्त सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम ढाणी भवसागर के इंतकाल नम्बर 56 दिनांक 27.06.2000 खोला गया जिसमें वादी का नाम मंगलदत्त पिता निर्भयदत्त अंकित किया गया है वह सहवन से दर्ज हुआ है। जिससे वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

–:: आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिद्ध होने से इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाके ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा में स्थित आरजी नम्बर 168 रकबा 0.11 है0, 169 रकबा 1.92 है0, 169/1 0.07 है0, 170 रकबा 0.13 है0, 171 रकबा 0.28 है0, 172 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.10 है0, 183 रकबा 0. 31 है0, 186 रकबा 0.02 है0, 695/182 रकबा 0.80 है0 कुल किता 10 रकबा 3.76 है0 में दर्ज सहखातेदार वादी का नाम मंगलदत्त पुत्र निर्भयदत्त के स्थान पर मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त पुण्डरिक राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इद्राज यथावत रहगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ... जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मंगलेश कुमार पुत्र निर्भयदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2. मु. विमला देवी पत्नी निर्भयदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा
3. मु. कान्ता पत्नी नारायणदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा
4. हेमन्तदत्त पुत्र नारायणदत्त पुण्डरिक निवासी पुण्डरिक भवन शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषित कराये जाने खातेदार काश्तकार

मुकदमा नम्बर **71** सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा में स्थित आरजी नम्बर 168 रकबा 0.11 है0, 169 रकबा 1.92 है0, 169/1 0.07 है0, 170 रकबा 0.13 है0, 171 रकबा 0.28 है0, 172 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.10 है0, 183 रकबा 0.31 है0, 186 रकबा 0.02 है0, 695/182 रकबा 0.80 है0 कुल किता 10 रकबा 3.76 है0 में दर्ज सहखातेदार वादी का नाम मंगलदत्त पुत्र निर्भयदत्त के स्थान पर मंगलेश कुमार पुण्डरिक पुत्र निर्भयदत्त पुण्डरिक राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इद्राज यथावत रहगें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 03 माह 10 सन् 2023 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)